उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम, 2007

प्रवर समिति द्वारा यथा संशोधित

(अधिनियम संख्या, 01, वर्ष 2008)

पुलिस व्यवस्था की उभरती हुई चुनौतियों, कानून का शासन लागू करने, राज्य और जनता की सुरक्षा की समस्यायें, सुशासन एवं मानव अधिकारों को ध्यान में रखते हुये, पुलिस अधिष्ठान, विनियमों तथा प्रबन्धन, पुलिस की भूमिका, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को पुनः परिभाषित करते हुये दक्ष व्यवसायिक, प्रभावी जवाबदेह और जनता की मित्र पुलिस को उत्तरदायी बनाए जाने के दृष्टिकोण से उपयुक्त प्राविधान किये गये हैं।

अधिनियम

भारत गणराज्य के 58वें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हों :–

अध्याय – एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम प्रारम्भ और विस्तार 1. 1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम, 2007 है।

2) यह राजस्व पुलिस क्षेत्र को छोड़कर समस्त उत्तराखण्ड राज्य और राज्य के बाहर तैनात राज्य पुलिस बल पर लागू होगा।

3) यह उस दिनांक को प्रवृत्त होगा जो सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित कर नियत किया जाय।

परिभाषाएं 2. इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

(क) ''अधिनियम'' से उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007 अभिप्रेत है;

(ख) ''पशु'' से गाय, भैंस, हाथी, ऊंट, घोड़े, गधे, खच्चर, भेड़, बकरी और सूअर अभिप्रेत है;

(ग) ''मुख्य सचिव'' से राज्य सरकार का मुख्य सचिव अभिप्रेत है;

(घ) ''जिला'' से उत्तर प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1901 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त और समय–समय पर यथासंशोधित) के अधीन जिले के रूप में अधिसूचित राजस्व क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ङ) ''जिला मजिस्ट्रेट'' से ऐसा मुख्य अधिकारी अभिप्रेत है जिसे जिले का सिविल प्रशासन सौंपा गया है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1974) की धारा 20 के अधीन राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया है;

(च) ''मण्डलायुक्त'' से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे इस रूप में किया गया है और जो उत्तर प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम यथासंशोधित) के अधीन अधिसूचित राजस्व मण्डल का प्रभारी है;

(छ) ''घरेलू सेवक'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो पारिश्रमिक पर अथवा अन्यथा, घरों में घरेलू कार्य करता है;

(ज) ''राज्य के विरूद्ध द्रोह'' से किसी समूह या जनसंख्या के किसी भाग द्वारा ऐसा राजद्रोह अभिप्रेत है, जिसमें किसी भारतीय क्षेत्र में किसी भाग को पृथक करना भी सम्मिलित है;

(झ) ''आन्तरिक सुरक्षा'' से राज्य के अन्दर विध्वंसकारी और राष्ट्रविरोधी ताकतों से राज्य की एकता व अखण्डता का परिरक्षण अभिप्रेत है;

(ञ) ''युद्धमान गतिविधियां'' से राजनैतिक उद्देश्य प्राप्त करने के लिये विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ आग्नेयस्त्र या अन्य घातक अस्त्रों या खतरनाक पदार्थों के उपयोग द्वारा किसी समूह की हिंसक गतिविधि अभिप्रेत है;

(ट) ''नैतिक अधमता'' से ऐसे किसी अपराध में शामिल होना अभिप्रेत है, जो अन्य बातों के साथ–साथ छल–कपट, जालसाजी, स्वापक (ड्रग), नशा, किसी महिला की शालीनता को ठेस पहुंचाना या भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम संख्या 45 वर्ष 1960) के अध्याय–6 में उल्लिखित राज्य के विरूद्ध किया गया कोई अपराध सम्मिलित है;

(ठ) ''संगठित अपराध'' में ऐसा अपराध सम्मिलित है जो हिंसा या हिंसा की धमकी द्वारा अवैध लाभ प्राप्त करने के सामान्य आशय के अनुसरण में किसी समूह या व्यक्तियों के गिरोह द्वारा किया गया हो;

(ड) ''सार्वजनिक आमोद एवं सार्वजनिक मनोरंजन स्थल'' से ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किये जायें;

(ढ) ''पुलिस जिला'' से ऐसा प्रोदशिक क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसे सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया गया है;

(ण) ''पुलिस जिले की सीमा'' से राजस्व पुलिस क्षेत्र को छोड़कर राजस्व जिले का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है;

(त) ''पुलिस अधिकारी'' से भारतीय पुलिस सेवा, उत्तराखण्ड पुलिस सेवा अथवा उत्तराखण्ड अधीनस्थ पुलिस सेवा के अधिकारी अभिप्रेत है और इसमें इस अधिनियम के अधीन गठित किसी अन्य सेवा के पुलिस अधिकारी भी सम्मिलित हैं;

(थ) ''पुलिस कार्मिक'' से ऐसे पुलिस अधिकारी एवं समस्त अन्य व्यक्ति अभिप्रेत हैं, जिनके लिये पुलिस महानिदेशक अथवा उनका कोई अधीनस्थ अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी है;

(द) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन विहित अभिप्रेत है;

(ध) ''सार्वजनिक स्थल'' से ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जहां जनता प्रवेश कर सकती है और इसमें निम्नलिखित स्थान सम्मिलित होंगे;

(एक) सार्वजनिक भवन, स्मारक और उनकी परिसीमाएं; और

(दो) कोई ऐसा स्थान जो जनता को पानी प्राप्त करने, धोने, स्नान करने या मनोरंजन के प्रयोजनों के लिये सुलभ हो;

(न) ''विनियम'' से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियम अभिप्रेत हैं;

(प) ''राजस्व पुलिस क्षेत्र'' से इस रूप में विद्यमान अथवा राजस्व पुलिस क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया क्षेत्र अभिप्रेत है;

(फ) ''राजस्व पुलिस प्रणाली'' से राजस्व पुलिस क्षेत्र में विद्यमान पुलिस की कार्य प्रणाली अभिप्रेत है;

(ब) ''नियम'' से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम अभिप्रेत हैं;

(भ) ''सेवा'' से इस अधिनियम के अधीन गठित पुलिस सेवा अभिप्रेत है;

(म) ''अधीनस्थ पद'' से सहायक अथवा उप पुलिस अधीक्षक के निम्न स्तर के पद अभिप्रेत हैं;

(य) ''पुलिस अधीक्षक'' से पुलिस जिला का प्रभारी पुलिस अधिकारी एवं समतुल्य पद के पुलिस अधिकारी अभिप्रेत हैं;

(र) ''आतंकवादी गतिविधि'' से समाज या उसके किसी भाग में आतंक फेलाने के उद्देश्य और विधि द्वारा स्थापित सरकार को अत्यधिक

भयभीत करने के आशय से विस्फोटकों या ज्वलनशील पदार्थों या आग्नेयास्त्रों या अन्य घातक शस्त्रों या विषैली गैसों या अन्य रसायनों या परिसंकटमय प्रकृति के पदार्थों के उपयोग द्वारा किसी व्यक्ति या समूह की कोई गतिविधि अभिप्रेत है;

(ल) ''पीड़ित'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसको व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से आपराधिक अपहानि, जिसमें शारीरिक अथवा मानसिक क्षति, भावनात्मक पीड़ा, आर्थिक हानि अथवा उसके मौलिक अधिकारों को पर्याप्त रूप से हानि पहुंची हो तथा इसमें उत्तराखण्ड में लागू विधियां एवं उनका उल्लंघन भी सम्मिलित है;

(व) ''साक्षी'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है :—

(क) जिसने किसी अपराध के सम्बन्ध में जैसा विहित किया जाय, बयान दिया है या साक्ष्य दिया है या देने को सहमत हो गया है;

(ख) उपरोक्त खण्ड (क) में निर्दिष्ट व्यक्ति केक सहयोगी अथवा सम्बन्धी द्वारा इस अधिनियम के अधीन संरक्षण अथवा अन्य सहायता अपेक्षित हो सकती है; या

(ग) किसी अन्य कारण से इस अधिनियम के अधीन संरक्षण अथवा अन्य सहायता की अपेक्षा करे।

टिप्पणी :— ऐसे शब्दों और पदों का, जिनका इस अधिनियम में प्रयोग किया गया है, किन्तु जिन्हें विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, वही अर्थ होगा जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में दिया गया है।

अध्याय–दो

पुलिस बल का गठन एवं संगठन

राज्य के लिये एक पुलिस बल का गठन 3. (1) राज्य के लिये एक पुलिस बल होगा।
(2) पुलिस बल में ऐसे पद, सदस्य तथा ऐसा/ऐसे संगठन होंगे जो साधारण और विशेष आदेशों द्वारा राज्य सरकार विहित करे।
(3) राज्य सरकार के समग्र नियंत्रण के अध्यधीन राज्य के पुलिस बल का प्रशासन पुलिस महानिदेशक में निहित रहेगा।

पुलिस रेंज 4. (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य को एक या एक से अधिक पुलिस रेंज में विभाजित कर सकेगी।
(2) पुलिस रेंज में पुलिस बल का प्रशासन एक अधिकारी में निहित होगा, जिसका पद पुलिस उपमहानिरीक्षक के स्तर से निम्न नहीं होगा।

पुलिस जिला 5. जिला मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता में पुलिस जिला का प्रशासन जिला मजिस्ट्रेट के सामान्य समन्वय तथा सामान्य निर्देशन में पुलिस अधीक्षक में निहित होगा।

जिला स्तरीय विशेष प्रकोष्ठ 6. किसी विशेष श्रेणी के अपराध पर कार्यवाही करने या अपराध से पीड़ित व्यक्ति सहित समुदाय को आमतौर पर बेहतर सेवा प्रदान करने के प्रयोजन से राज्य सरकार किसी पुलिस जिले में एक या एक से अधिक विशेष प्रकोष्ठ सृजित कर सकेगी।

पुलिस थाने 7. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, चौकियों सहित या उनके बिना पुलिस थाना सृजित करेगी।
(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, वृत्त अधिसूचित करेगी और एक वृत्त में न्यूनतम दो थाने होंगे।
(3) थाने का प्रधान प्रभारी अधिकारी होगा, जिसका पद पुलिस उपनिरीक्षक के स्तर से कम नहीं होगा।

राजस्व पुलिस क्षेत्र 8. राजस्व पुलिस प्रणाली के अधीन किसी जिले का ऐसा क्षेत्र होगा, जिसे समय–समय पर सरकार द्वारा अवधारित किया जाय।

रेलवे पुलिस 9. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से, राज्य में ऐसे रेल क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुये, जो विनिर्दिष्ट किये जायें, पुलिस अधीक्षक के अधीन एक या एक से अधिक रेलवे पुलिस जिले सृजित कर सकती है।
(2) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, एक रेलवे पुलिस जिले को सहायक/उप पुलिस अधीक्षक के स्तर के अधिकारी के अधीन एक या एक से अधिक वृत्तों में विभाजित कर सकेगी।

(3) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी रेलवे पुलिस जिले में एक अधिकारी के अधीन, जिसका पद पुलिस उप निरीक्षक के स्तर से निम्न नहीं होगा, एक या एक से अधिक थाने सृजित कर सकेगी।

राज्य अभिसूचना विभाग

10. राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, अभिसूचना के संग्रह, समाकलन, विश्लेषण और प्रसार के लिये राज्य अभिसूचना विभाग सृजित कर सकती है।

राज्य अपराध अन्वेषण विभाग

11. राज्य सरकार साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट अपराधों के अन्वेषण हेतु या जैसा पुलिस महानिदेशक और/या राज्य सरकार द्वारा निदेश दिया जाय अपराध अन्वेषण विभाग सृजित कर सकती है।

विशिष्ट पुलिस इकाईयां

12. इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी –

(1) राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, विशिष्ट पुलिस बल का निर्माण, संख्या, कृत्य, उत्तरदायित्व भी अवधारित कर सकेगी।

(2) विशिष्ट पुलिस बल में ऐसा प्रशासनिक ढांचा और पदानुक्रम होगा,जैसा विहित किया जाय।

(3) विशिष्ट पुलिस बल के कर्तव्य उत्तदायित्व, शक्तियां और विशेषाधिकार ऐसे होंगे, जैसे राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय।

(4) राज्य सरकार, साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा, ऐसे विशिष्ट पुलिस बल को भंग कर सकती है अथवा युक्तिसंगत बना सकती है।

जिला सशस्त्र रिजर्व एवं राज्य सशस्त्र पुलिस बटालियन

13. विधि के प्रवर्तन और व्यवस्था बनाये रखने या ऐसी परिस्थितियों में जब शान्ति के भंग होने की सम्भावना हो और आपदा प्रबन्धन कार्यों, बन्दियों के अनुरक्षकों या ऐसे अन्य कर्तव्यों के पालन में, जिनके लिये विशेष शस्त्र, या रणनीति में कुशल या सशस्त्र पुलिस की उपस्थिति आवश्यक हो, सिविल पुलिस की सहायता के लिये राज्य सरकार समुचित मानव शक्ति सहित प्रत्येक पुलिस जिले के लिये सशस्त्र पुलिस रिजर्व के रूप में और राज्य के लिये समुचित संख्या में सशस्त्र पुलिस बटालियन के रूप में सशस्त्र पुलिस इकाईयां या विशेष सशस्त्र पुलिस इकाईयां सृजित करेगी। ऐसे रिजर्व बटालियनों का गठन, प्रशिक्षण, तैनाती और प्रशासन इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार होगा।

विशेष पुलिस अधिकारी

14. इस निमित्त विहित नियमों के अधीन रहते हुये, विशेष परिस्थितियों में, विशेष पुलिस अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट के परामर्श से पुलिस अधीक्षक द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।

पुलिस प्रशिक्षण संस्थायें

15. (1) राज्य सरकार, पुलिस महानिदेशक के परामर्श से, पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण–सह–शिक्षा नीति निर्धारित कर सकती है। इस नीति का उद्देश्य पुलिस अधिकारियों में, जैसे–जैसे वे अपने व्यवसाय में प्रगति करते जाएं, में उपयुक्त शैक्षिक एवं व्यावसायिक योग्यतायें प्राप्त करने के लिये सेवा संस्कृति को

प्रोत्साहित करना भी होगा।

(2) राज्य सरकार , साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा, राज्य पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय और अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं सहित पुलिस प्रशिक्षण संस्थायें स्थापित कर सकेगी।

(3) पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं का पर्यवेक्षण तथा प्रशासन इस प्रयोजन हेतु बनाये गये विनियमों के अनुसार होगा।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

16. (1) राज्य सरकार, पुलिस और अपराध से सम्बन्धित विषयों पर अनुसंधान करने के लिये पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की स्थापना कर सकेगी।

(2) ब्यूरो का प्रशासन और कामकाज की परिस्थितियां ऐसी होंगी, जैसी विहित की जाएं।

तकनीकी एवं सहायक बल

17. राज्य सरकार, पुलिस महानिदेशक के समग्र नियंत्रण में तकनीकी अभिकरणों और सेवाओं का सृजन एवं अनुरक्षण कर सकती है, जैसा समय समय पर अधिसूचनाओं द्वारा इस निमित्त अपेक्षित हो।

विधि सलाहकार और वित्तीय नियंत्रक

18. राज्य सरकार, विधिक एवं वित्तीय मामलों में पुलिस महानिदेशक की सहायता और उसे परामर्श देने के लिये क्रमशः एक विधि सलाहकार और एक वित्तीय नियन्त्रक नियुक्त कर सकेगी।

अध्याय–तीन

पुलिस बल का प्रशासन

पुलिस बल पर अधीक्षक

19. किसी अन्य विधि में कोई बात के होते हुये भी, राज्य सरकार, पुलिस बल से सम्बन्धित सभी मामलों में, अधीक्षण की शक्ति का प्रयोग करेगी।

पुलिस महानिदेशक

20. (1) पुलिस बल के समग्र नियंत्रण, निदेशन और पर्यवेक्षण के लिये राज्य सरकार एक पुलिस महानिदेशक नियुक्त करेगी।

(2) पुलिस महानिदेशक के पद पर, पूर्व से कार्यरत अधिकारियों अथवा ऐसे अधिकारियों, जो पुलिस महानिदेशक के पद पर पदोन्नति के योग्य पाये गये हैं, की नामिका में से, सरकार द्वारा गठित एक समिति द्वारा, संवीक्षा के पश्चात, नियुक्त की जायेगी;

परन्तु यह कि नामिका में अधिकारियों की संख्या राज्य में महानिदेशक के लिये स्वीकृत संवर्ग पदों की संख्या के तीन गुना से अधिक नहीं होगी।

(3) इस प्रकार नियुक्त पुलिस महानिदेशक का कार्यकाल अधिवर्षता के अधीन रहते हुये न्यूनतम दो वर्ष होगा।

(4) राज्य सरकार, निम्नलिखित आधार पर, कारण विनिर्दिष्ट करते हुये, एक लिखित आदेश द्वारा, पुलिस महानिदेशक को उसके पद से, उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व, हटा सकती है :–

(एक) किसी दाण्डिक अपराध में किसी विधि न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किये जाने पर अथवा किसी न्यायालय द्वारा भ्रष्टाचार अथवा नैतिक अधमता में अन्तर्वलित मामले में आरोप लगाये जाने पर; या

(दो) शारीरिक और मानसिक रोग से अक्षमता के कारण, पुलिस महानिदेशक के रूप में अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये अयोग्य होने पर; या

(तीन) केन्द्र अथवा अन्य राज्य सरकार के अधीन समान पद या उच्चतर पद पर प्रोन्नति किये जाने पर; या

(चार) उनके स्वयं के अनुरोध पर

(5) आपवादिक मामलों में, पुलिस महानिदेशक राज्य सरकार द्वारा घोर अदक्षता या उपेक्षा के लिये उसके कार्याकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाया जा सकेगा, यदि प्रारम्भिक जांच के बाद प्रथम दृष्ट्या गम्भीर प्रकृति का मामला स्थापित हो जाये।

पुलिस प्रशासन

21 सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन, पुलिस महानिदेशक इस अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुरूप –

(क) अपराध निवारण,

(ख) अपराध अन्वेषण,

(ग) कानून और व्यवस्था बनाये रखने,
(घ) पुलिस संगठन और पुलिस अधिकारियों द्वारा निष्पादित कार्य का विनियमन और निरीक्षण,
(ङ) पुलिस बल को प्रदान किये जाने वाले हथियारों, सज्जा, पोशाक और अन्य साधनों का विवरण और मात्रा का निर्धारण,
(च) पुलिस बल के सदस्यों के आवास स्थल का चयन,
(छ) पुलिस बल का विनियमन, तैनाती, संचलन और अवस्थिति,
(ज) सभी पदों और श्रेणियों के अधिकारियों को ड्यूटी सौंपना और रीति और शर्तें विहित करना, जिनके अधीन वे क्रमशः अपनी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेंगे
(झ) पुलिस द्वारा अभसूचना और सूचना को एकत्र करने तथा उसके सम्प्रेषण का विनियमन, और
(ञ) साधारणतः पुलिस को अधिक दक्ष बनाने, शक्ति का दुरूपयोग और उनके द्वारा कर्तव्यों की उपेक्षा को रोकने के लिये पुलिस की विभिन्न इकाईयों और अधिकारियों द्वारा रखे जाने वाले अभिलेख, रजिस्टर और प्रपत्र तथा प्रस्तुत किये जाने वाली विवरणियां विहित करने;

के लिये, विनियम बनायेगा और आदेश जारी करेगा।

अनुशासनिक कार्यवाहियां **22.** ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 311 के उपबन्धों के अधीन, अनुशासनिक कार्यवाहियां इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों अहौर विनियमों के अनुसार संचालित की जाएंगी।

अनुशासनिक शास्तियां **23.** (1) पुलिस अधीक्षक के स्तर या उससे उच्चतर स्तर का अधिकारी उस स्तर के पुलिस अधिकारी को, जिसका वह नियुक्ति प्राधिकारी है, निम्नलिखित में से कोंई दण्ड दे सकेगा, अर्थात –

(क) पदावनति;
(ख) अनिवार्य सेवानिवृत्ति;
(ग) सेवा से हटाना;
(घ) पदच्युति;
(ङ) वेतन में कटौती;
(च) वेतनवृद्धि रोकना; और
(छ) पदोन्नति रोकना।

(2) पुलिस अधीक्षक के स्तर का या उससे उच्चतर स्तर का कोई पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ अराजपत्रित पुलिस अधिकारी को निम्नलिखित में से कोई दण्ड दे सकेगा, अर्थात –

(क) एक माह से अनधिक के वेतन का जुर्माना;
(ख) परिनिन्दा या भर्त्सना।

(3) कोई भी पुलिस उप अधीक्षक या उसके समतुल्य स्तर का कोई अधिकारी, पुलिस निरीक्षक, उप निरीक्षक या उससे निम्न स्तर के किसी अधिकारी को परिनिन्दा या भर्त्सना का दण्ड दे सकता है।

(4) निरीक्षक या उससे उच्चतर स्तर का कोई अधिकारी कान्सटेबिल और हेड कान्सटेबिल को लघु दण्ड दे सकेगा।

(5) किसी अधिकारी को उप धारा (1), (2), (3) या (4) में उल्लिखित दण्ड दिये जाने पर उसके द्वारा उसी संव्यवहार में किये गये दाण्डिक अपराध से, जिसमें विभागीय कार्यवाही के कारण किसी विभागीय नियम के उल्लंघन करने पर उसे दण्डित किया गया है, अभियोजन की उसकी जिम्मेदारी प्रभावित नहीं होगी।

निलम्बन 24. पुलिस अधीक्षक या उससे उच्चतर स्तर का कोई पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ निरीक्षक या उससे निम्न स्तर के पुलिस अधिकारी को कारण अभिलिखित करने के उपरान्त निलम्बित कर सकेगा।

अवचार 25. कोई भी पुलिस अधिकारी किसी अन्य अपचार या व्यवहार के, जैसा कि संगत नियमों में विहित है, अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसी अवचार के लिये अनुशासनिक कार्यवाही के लिये जिम्मेदार होगा :—

(क) विधि सम्मत अदेशों की अवज्ञा;
(ख) ड्यूटी की उपेक्षा;
(ग) अनधीनता या कोई कठोर आचरण;
(घ) अनधिकृत मिथ्यारोप या ड्यूटी से अनुपस्थित;
(ङ) कायरतापूर्ण कार्य;
(च) अधिकार का दुरूपयोग; या
(छ) कोई ऐसा कार्य जो एक अधिकारी को शोभा नहीं देता।

दण्ड के आदेशों के विरूद्ध अपील 26. वर्तमान अधिनियम के अनुसरण में या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत किसी अधिकारी के विरूद्ध पारित दण्ड के किसी आदेश के विरूद्ध निम्न के समक्ष अपील हो सकेगी —

(क) जहां आदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा पारित किया जाता है — राज्य सरकार को, और
(ख) जहां आदेश पुलिस महानिदेशक के अधीनस्थ अधिकारी द्वारा पारित किया जाता है — पुलिस पदानुक्रम में ऐसा आदेश पारित करने वाले प्राधिकारी से अगले उच्चतर स्तर के अधिकारी को।

रेलवे क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन 27. (1) राज्य सरकार, रेलवे क्षेत्रों के प्रशासन में पुलिस महानिदेशक की सहायता के लिये पुलिस उप महानिरीक्षक के स्तर से अनिम्न किसी पुलिस अधिकारी को तैनात कर सकती है।

(2) रेलवे क्षेत्र में पुलिस जिले का प्रशासन पुलिस अधीक्षक में निहित होगा।

(3) पुलिस महानिदेशक के नियंत्रण के अधीन रहते हुये, ऐसे पुलिस अधिकारी अपने–अपने प्रभारों के अन्तर्गत स्थित रेल से सम्बन्धित पुलिस कृत्य का तथा अन्य ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेंगे, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर उन्हें सौंपे जाएं।

(4) कोई भी पुलिस अधिकारी, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस उपधारा के अधीन साधारण अथवा विशेष आदेश से कार्य करने के लिये सशक्त किया जाता है, पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी की किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा। ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते समय उसे अपने थाने की सीमाओं के अन्दर, ऐसे अधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करते हुये, उस पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी समझा जायेगा।

(5) किन्हीं साधारण और विशेष आदेशों के अधीन, जिन्हें राज्य सरकार इस निमित पारित करे, ऐसे अधिकारी में अपने कृत्यों के निर्वहन में, शक्तियां और विशेषाधिकार, राज्य के प्रत्येक भाग में, निहित होंगे तथा इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अन्तर्गत उनके दायित्व वही होंगे, जो पुलिस अधिकारियों के हैं।

(6) पुलिस अधीक्षक, राज्य सरकार की पूर्वानुमति से, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किन्हीं शक्तियों और कृत्यों को, किसी सहायक या उप अधीक्षक को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

मुख्य पुलिस अधिकारियों की पदावधि

28. (1) किसी थाने के प्रभारी अधिकारी के रूप में तैनात किसी पुलिस अधिकारी की पदावधि, न्यूनतम एक वर्ष एवं किसी पुलिस वृत्त के प्रभारी अधिकारी के रूप में या पुलिस अधीक्षक के रूप में या किसी रेंज के उपमहानिरीक्षक/महानिरीक्षक की पदावधि, अधिवर्षिता के अधीन रहते हुये, न्यूनतम दो वर्ष होगी;

परन्तु इस प्राविधान के अन्तर्गत आच्छादित किसी पुलिस अधिकारी को, निम्नलिखित के परिणामस्वरूप, उसकी पदावधि की समाप्ति से पूर्व, स्थानान्तरण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा, सकारण लिखित आदेश द्वारा, उसके पद से स्थानान्तरित किया जा सकेगा :–

(क) उच्चतर पद पर पदोन्नति होने पर, या प्रतिनियुक्ति पर जाने पर, या

(ख) दोष सिद्ध होने पर; या

(ग) किसी विधि न्यायालय द्वारा दाण्डिक अपराध का आरोप लगाये जाने पर; या

(घ) शारीरिक और मानसिक रोग या अन्यथा अक्षमता से अपने कृत्यों और कर्तव्यों के अनुपालन में असमर्थ होने पर; या

(ङ) किसी रिक्ति के भरने के लिये; या

(च) उसके स्वयं के अनुरोध पर, या

(छ) जनहित में।

(2) आपवादिक मामलों में, घोर अकुशलता या उपेक्षा के लिये, जहां प्रारम्भिक जांच के पश्चात प्रथम दृष्टया गम्भीर प्रकृति का मामला

संस्थित किया गया है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी अधिकारी को उसके पद से हटाया जा सकेगा।

अध्याय – चार

राज्य पुलिस बोर्ड तथा पुलिस अधिष्ठान समिति

राज्य पुलिस बोर्ड

29. राज्य सरकार, यथाशीघ्र इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन सौंपे गये कृत्यों का प्रयोग करने के लिये एक राज्य पुलिस बोर्ड स्थापित करेगा।

बोर्ड की संरचना

30. राज्य पुलिस बोर्ड में निम्नलिखित होंगे :–

(क) गृह मंत्री – अध्यक्ष

(ख) प्रतिपक्ष के नेता अथवा, यथास्थिति, यदि विरोधी दल का नेता न हो राज्य की विधानसभा में अकेला सबसे बड़े विरोधी दल का नेता–सदस्य

(ग) मुख्य सचिव – सदस्य

(घ) गृह विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव – सदस्य

(ङ) पुलिस महानिदेशक – सदस्य

(च) शिक्षा, विधि, लोक प्रशासन, संचार माध्यम अथवा किसी अन्य क्षेत्र से सत्यनिष्ठा और सक्षमता के लिये प्रख्यात दो गैर राजनैतिक व्यक्ति (जिन्हें एतद्पश्चात ''स्वतंत्र सदस्य'' कहा गया है), जिन्हें इस अधिनियम के अधीन गठित चयन नामिका की संस्तुति पर नियुक्त किया जाना है – सदस्य ; और

(छ) भारतीय पुलिस सेवा के राज्य संवर्ग के एक पुलिस अधिकारी को, जिसका पद अपर पुलिस महानिदेशक से निम्न स्तर का नहीं होगा, राज्य सरकार द्वारा उसके सचिव के रूप में नामित किया जायेगा।

स्वतंत्र सदस्यों के चयन के लिये नामिका की संरचना

31. राज्य पुलिस बोर्ड के स्वतंत्र सदस्य/सदस्यों को चयन नामिका की सिफारिश पर नियुक्त किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे :–

(क) राज्य का मुख्यमंत्री,

(ख) राज्य विधानसभा का अध्यक्ष,

(ग) राज्य का गृह मंत्री

(घ) राज्य विधानसभा में विरोधी दल का नेता अथवा, यथास्थिति, यदि विरोधी दल का कोई नेता न हो तो राज्य के विधानसभा में अकेले सबसे बड़े विरोधी दल का नेता।

स्वतंत्र सदस्यों की अपात्रता के आधार

32. कोई भी व्यक्ति राज्य पुलिस बोर्ड का स्वतंत्र सदस्य नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह –

(क) भारत का नागरिक नहीं है; या

(ख) विधि न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया है या जिसके विरूद्ध किसी विधि न्यायालय में आरोप लगाये गये हैं; या

(ग) जिसकी भ्रष्टाचार या अवचार के आधार पर सेवायें समाप्त कर दी गयी हैं अथवा जिसे सेवा से हटा दिया गया है अथवा सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त हुआ है; अथवा

(घ) निर्वाचित राजनैतिक पद धारण करता है, जिसमें संसद अथवा विधानसभा अथवा स्थानीय निकाय का सदस्य सम्मिलित है अथवा किसी राजनैतिक दल से सम्बन्धित किसी संगठन या किसी राजनैतिक दल का पदाधिकारी है; या

(ङ) विकृत चित्त है।

स्वतंत्र सदस्यों का कार्यकाल और विशेषाधिकार

33. किसी व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये स्वतंत्र सदस्य नियुक्त किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को उसके एक कार्यकाल से अधिक के लिये नियुक्त नहीं किया जायेगा। स्वतंत्र सदस्य, बैठक, फीस और बैठक के स्थान से आने–जाने के लिये परिवहन तथा बोर्ड द्वारा सौंपे गये किसी कार्य के सम्बन्ध में, जैसा कि समय–समय पर विहित किया जाय, यात्रा भत्ता का हकदार होगा।

स्वतंत्र सदस्य का हटाया जाना

34. (1) राज्य पुलिस बोर्ड के किसी स्वतंत्र सदस्य को निम्नलिखित में से किसी कारण से, राज्य सरकार द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकेगा –

(क) प्रमाणित अक्षमता, या

(ख) प्रमाणित दुर्व्यवहार, या

(ग) पर्याप्त कारण के बिना राज्य पुलिस बोर्ड की लगातार तीन बैठकों में उपस्थित रहने में असफल रहने पर, या

(घ) शारीरिक और मानसिक अशक्तता के कारण अक्षमता, या

(ड.) सदस्य के रूप में अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये अन्यथा अयोग्य हो जाने पर, या

(च) चयन नामिका की सिफारिश पर।

(2) इसके अतिरिक्त किसी स्वतंत्र सदस्य को राज्य सरकार द्वारा राज्य पुलिस बोर्ड से हटाया जा सकता है, यदि वह इस अध्याय में विनिर्दिष्ट किसी कारण अपात्रता प्राप्त कर लेता है।

3) प्रकार हटाये जाने के लिये राज्य सरकार लिखित रूप मे कारण बतायेगी।

राज्य पुलिस बोर्ड के कृत्य

35. राज्य पुलिस बोर्ड द्वारा निम्नलिखित कृत्यों का निष्पादन किया जायेगा, अर्थातः–

(1) दक्ष, प्रभावी, उत्तरदायी तथा जबावदेही पुलिस व्यवस्था के संवर्धन हेतु नीति सम्बन्धी मार्ग निर्देशों के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सुझाव तथा परामर्श देना,

(2) निष्पादन संकेतकों को चिन्हित करने में, जिनमें अन्य बातों के अतिरिक्त प्रचालन दक्षता, जनता के समाधान, पीड़ित व्यक्ति के समाधान की तुलना में पुलिस अन्वेषण तथा प्रतिक्रिया, जबावदेही संसाधनों का इष्टतम उपयोग और मानव अधिकार मानकों का पालन शामिल है, राज्य सरकार को सुझाव देना, और

(3) उपरोक्त उप धारा (2) मे चिन्हित निष्पादन संकेतकों के अनुसार समय–समय पर पुलिस बल के कार्य निष्पादन की अभिवर्धन के उपाय सुझाना।

(4) निम्नलिखित के सापेक्ष पुलिस के संगठनात्मक कार्य निष्पादन के मूल्यांकन के सुझाव देना :–

(एक) निष्पादन संकेतक जो स्वयं राज्य पुलिस बोर्ड द्वारा चिन्हित व निर्धारित किये गये हैं।

(दो) पुलिस के पास उपलब्ध संसाधन तथा प्रतिबन्ध।

(5) पुलिस के कार्य से सम्बन्धित सूचना और आंकड़े संग्रह करने के लिये नीति सम्बन्धी मार्ग निर्देश सुझाना, तथा

(6) पुलिस की दक्षता, प्रभाविता, जबावदेही तथा अनुक्रियाशीलता के सुधार के लिये अर्थोपाय सुझाना।

राज्य पुलिस बोर्ड का व्यय

36. परिश्रमिक, भत्तों और राज्य पुलिस बोर्ड के सरकारी कार्य के सम्बन्ध में यात्रा और बोर्ड के स्वतंत्र सदस्यों से सम्बन्धित व्यय राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में विहित नियमों के अनुसार वहन किया जायेगा।

राज्य पुलिस बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट

37. राज्य पुलिस बोर्ड, प्रत्येक वर्ष के अन्त में, गत वर्ष के दौरान अपने कार्य और पुलिस बल के कार्य के निष्पादन के मूल्यांकन से सम्बन्धित एक रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। राज्य सरकार इस रिपार्ट को राज्य की विधानसभा के समक्ष यथा शीघ्र प्रस्तुत करेगी।

पुलिस अधिष्ठान समिति

38. 1) राज्य सरकार, यथाशीघ्र, एक पुलिस अधिष्ठान समिति का गठन करेगी (जिसे एतदपश्चात 'समिति' कहा गया है), जिसका पुलिस महानिदेशक अध्यक्ष होगा और दो अन्य वरिष्ठतम् अधिकारी सदस्य होंगे, जिनका पद पुलिस महानिरीक्षक के स्तर से निम्न नहीं होगा।

(2) अधिष्ठान समिति द्वारा निम्नलिखित कृत्यों और कर्तव्यों का पालन किया जायेगा, अर्थात् –

(क) अधीनस्थ पदों पर चयन तथा पदोन्नति के लिये प्रक्रियाएं निर्धारित करना,

(ख) अधीनस्थ अधिकारियों का एक रेन्ज से दूसरे में स्थानान्तरण,

(ग) पुलिस उप अधीक्षक/पुलिस सहायक अधीक्षक के पदो के अधिकारियों का स्थानान्तरण।

(घ) क्षेत्र में कार्यरत पुलिस अपर अधीक्षक और उससे उच्चतर पदों के पुलिस अधिकारियों के स्थानान्तरण और तैनाती के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सिफारिश करना।

(ड.) अधीनस्थ अधिकारियों का एक पुलिस जिले से दूसरे में स्थानान्तरण के लिये मार्ग निर्देश/अनुदेश विहित करना, तथा

(च) पुलिस कार्मिकों की शिकायतों का विश्लेषण तथा निराकरण, जहां आवश्यक हो, राज्य सरकार को सुधार के उपाय सुझाना।

(3) राज्य सरकार, जिन मामलों में उचित समझे, ऐसे कारणों से, जो लिखित हों, का उल्लेख करते हुये, समिति के निर्णय में परिवर्तन या संशोधन कर सकती है।

अध्याय – पांच

पुलिस की भूमिका, कृत्य तथा कर्तव्य

पुलिस की भूमिका, कृत्य तथा कर्तव्य

39. (1) सामान्यतः पुलिस की निम्नलिखित सांकेतिक भूमिका और कृत्य,सरकार द्वारा समय–समय पर बनाये गये नियमों के अनुसार होगें :–

(क) निष्पक्षतापूर्वक विधि को लागू करना और उसकी मर्यादा बनाए रखना, जनता के जीवन, स्वतंत्रता, सम्पत्ति, मानव अधिकार और गरिमा का संरक्षण;

(ख) कानून और व्यवस्था को बनाये रखने में सहायता करना;

(ग) आन्तरिक सुरक्षा का संरक्षण, आतंकवादी गतिविधियों, सामुदायिक समन्वय के भंग होने, युद्धमान गतिविधियों तथा अन्य आन्तरिक सुरक्षा को प्रभावित करने वाली अन्य परिस्थितियों का निवारण और नियंत्रण;

(घ) सड़कों, रेलों, पुलों की संरचनाओं तथा अधिष्ठान इत्यादि सार्वजनिक सम्पत्तियों की विध्वंसक कार्यों या किसी प्रकार के आक्रमण से संरक्षण;

(ङ) अपराध निवारण तथा उनके निवारक कार्यों और उपायों तथा अपराध निवारण हेतु सम्यक उपायों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित अभिकरणों के साथ–साथ सहयोग तथा सहायता द्वारा अपराध की घटनायें घटित होने के अवसरों को कमकरना

(च) किसी शिकायतकर्ता अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा स्वयं उपस्थित होकर अथवा डाक द्वारा, ई–मेल अथवा अन्य साधनों से प्राप्त समस्त शिकायतों का सम्यक रूप से पंजीकरण करना और शिकायत की प्राप्ति की सम्यक रूप से अभिस्वीकृति के पश्चात उस पर तुरन्त अनुवर्ती कार्यवाई कराना;

(छ) ऐसी शिकायतों अथवा अन्यथा द्वारा उसके संज्ञान में आने वाले संज्ञेय अपराधों का पंजीकरण और अन्वेषण, शिकायतकर्ता को प्राथमिकी की प्रति सम्यक रूप से प्रदान कर और जहां उचित हो, अपराधियों को हिरासत में लेना और विधि अनुसार अन्वेषण संचालित करना;

(ज) जनसमुदाय में सुरक्षा की भावना पैदा करना और उसे बनाये रखना तथा यथा सम्भव संघर्ष/आन्दोलन को रोकना और सौहार्द को बढ़ावा देना;

(झ) प्राकृतिक या मानव जनित आपदाओं के कारण उत्पन्न परिस्थितियों में लोगों को यथा सम्भव सहायता प्रदान करना और राहत तथा पुनर्वास उपायों में अन्य अभिकरणों को त्वरित सहायता प्रदान करना;

(ञ) ऐसे व्यक्तियों की सहायता कराना, जिनके शरीर या सम्पत्ति को

अपहानि का खतरा हो और कष्टप्रद स्थितियों में पड़े व्यक्तियों को आवश्यक राहत और सहायता प्रदान करना;

(ट) जनता और वाहनों की व्यवस्थित रूप से आने–जाने को सुविधाजनक बनाना तथा सड़कों और महामार्गों पर यातायात को नियंत्रण और विनियमन;

(ठ) सार्वजनिक शांति और सभी प्रकार के उपराधों के सम्बन्ध में जिसमें सामाजिक अपराध भी शामिल हैं, तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मामलों के सम्बन्ध में अभिसूचना एकत्र करना, स्वयं उन पर कार्यवाही करने के अतिरिक्त समस्त सम्बन्धित अभिकरणों, जो विहित किये जायें, में उसे प्रचारित करना;

(ड) ऐसा अन्य कर्तव्यों का पालन तथा उत्तरदायित्वों का निर्वहन, जो उन्हें राज्य सकार अथवा किसी प्राधिकारी द्वारा, जिसे तत्मसय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसे निदेश जारी करने के लिए सशक्त किया गया है, सौंपे गए हैं;

(ढ) पुलिस थाने में आभ्यासिक अपराधियों और संगठित अपराध में अन्तर्वलित व्यक्तियों का अभिलेख रखना और उसको प्रदर्शित करना;

(ण) जिला और राज्य स्तर पर अभ्यासित अपराधियों और संगठित अपराध में अन्तर्वलित व्यक्तियों का अध्यावधिक अभिलेख रखना

(2) पुलिस अधिकारी, डयूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी की हैसियत से समस्त अदावित (लावारिस) चल सम्पति को अपने कब्जे में लेगा और धारा 46 के उपबन्धों के अनुसार उसकी सुरक्षित अभिरक्षा और उसके निस्तारण के लिए कार्यवाही करेगा।

राजस्व पुलिस क्षेत्र में कृत्य

40. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, अपराधों के वैज्ञानिक अन्वेषण भीड़ का विनियमन और राहत, राहत कार्य और ऐसे अन्य प्रबन्ध, जैसा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आपवादिक परिस्थितियों में जिले के पुलिस अधीक्षक के माध्यम से निदेश दिया जाये, पुलिस बल और सशस्त्र पुलिस इकाईयों द्वारा ऐसी सहायता देना एवं अन्वेषण करना, जो राजस्व पुलिस क्षेत्र में अपेक्षित हो, विधि सम्मत होगा।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारी के कर्तव्यों का पालन

41. कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, उसके अधीनस्थ अधिकारी को विधि अथवा विधि सम्मत आदेश द्वारा सौंपे गये किसी कर्तव्य का निर्वाह कर सकेगा, जहां कानून को व्यापक रूप से लागू करने या उसके किसी उल्लघंन से बचने के लिए आवश्यक अथवा समीचीन प्रतीत हो, तो वह स्वयं अपने अथवा विधि सम्मत रूप से उसकी कमान और प्राधिकार के अधीन विधि सम्मत कार्यवाही करने वाले अधीनस्थ व्यक्ति के कार्य से उसकी कार्यवाही में सहायता कर सकता है, उसे अनुपूरित, अधिक्रान्त अथवा उसको रोक सकता है।

पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी और उनकी तैनाती

42. इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, प्रत्येक पुलिस अधिकारी निरन्तर डयूटी पर समझा जायेगा और किसी भी समय, राज्य के किसी भाग में या राज्य के बाहर पुलिस अधिकारी के रूप में उसे तैनात किया जा सकता है।

पुलिस अधिकारी का किसी अन्य नियोजन में प्रवृत्त न होना

43. कोई भी पुलिस अधिकारी, जब तक कि उसे राज्य सरकार द्वारा ऐसा करने के लिए लिखित रूप में विशिष्ट रूप से अनुमति न दे दी जाये, इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों से भिन्न किसी अन्य नियोजन या कार्यालय में, चाहे जो भी हो, कार्य नहीं करेगा।

पुलिस अधिकारी का ड्यूटी आदि से विमुख न होना

44. काई भी पुलिस अधिकारी अपने पद के कर्तव्यों से विमुख नहीं होगा।

पुलिस अधिकारी द्वारा सूचना का प्रस्तुतीकरण

45. किसी क्षेत्राधिकारी वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी सूचना को प्रस्तुत करने और सम्मन, वारण्ट, तलाशी का वारण्ट या ऐसी अन्य आदेशिका के लिए, जो किसी अपराध करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध विधि द्वारा जारी की जा सकती है, आवेदन करना किसी भी पुलिस अधिकारी को उत्तरदायित्व होगा।

पुलिस अधिकारियों द्वारा ऐसी अदावित (लावारिस) चल सम्पत्ति को अपने कब्जे में लेना जो किसी वाद से सम्बन्धित नहीं है

46. समस्त अदावित (लावारिस) चल सम्पत्ति को अपने कब्जे में लेना और उसकी सूची उस पुलिस अधीक्षक, को जो उसे विहित रीति से निस्तारित द्वारा ऐसीकरने के लिए सक्षम होगा, प्रस्तुत करना, प्रत्येक पुलिस अधिकारी का कर्तव्य होगा तथा वह सक्षम आधिकारिता वाले सम्बन्धित न्यायालय को उस सम्बन्ध में पूर्ण रूप से सूचित करेगा।

पुलिस अधिकारियों द्वारा दैनिकी (डायरी) रखा जाना

47. पुलिस थाने के प्रत्येक प्रभारी अधिकारी का यह कर्तव्य होगी कि वह एक साधारण डायरी ऐसे प्रारूप और ऐसी रीति से रखे जो समय–समय पर विहित की जाये।

राज्य सरकार विवरणियों का प्रारूप विहित कर सकेगी

48. राज्य सरकार, पुलिस महानिदेशक तथा अन्य अधिकारियों द्वारा, जैसा राज्य सरकार उचित समझे, विवरिणियां प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकती है तथा ऐसी विवरिणी के प्रारूप, जिनमें विवरणी तैयार की जानीं है, विहित कर सकेगी।

वर्दियां, पद चिन्ह, सज्जा

49. (1) राज्य सरकार, पुलिस अधिकारियों अथवा यथास्थिति, किसी वर्ग के पुलिस अधिकारियों के लिए वर्दी, पदचिन्ह और सज्जा विहित कर

आदि सकेगी;

(2) पुलिस महानिदेशक समय—समय पर वर्दियां पहनने और पदचिन्ह तथा सज्जा धारण करने के लिए निदेश जारी कर सकेगा।

अध्याय–छः

पुलिस व्यवस्था के लिए विशेष प्रावधान

विशेष अपराध अन्वेषण इकाईयां

50. (1) राज्य सरकार एक अधिकारी के अधीन, जिसका पद पुलिस उप निरीक्षक के स्तर से निम्न नहीं होगा, पुलिस जिले, अथवा पुलिस थाने हेतु विशेष अपराध अन्वेषण इकाई सृजित कर सकती है और ऐसे अपराध भी विनिर्दिष्ट कर सकती है, जिनके विषय में ऐसी इकाईयों को अन्वेषण कार्य करना होगा।

(2) ऐसी इकाईयों में तैनात पुलिस अधिकारियों को पुलिस महानिदेशक की लिखित अनुमति से, अत्यन्त विशेष परिस्थितियों के सिवाय किसी अन्य डयूटी पर नहीं लगाया जायेगा।

(3) विशेष अपराध अन्वेषण इकाईयों द्वारा अन्य ऐसे अपराधों के विषय में भी अन्वेषण किया जा सकेगा, जो पुलिस महानिदेशक के साधारण और विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें।

सार्वजनिक स्थलों के आरक्षण और अवरोध (बैरियर) निर्माण करने की शक्ति तथा सार्वजनिक स्थलों पर संगीत तथा ध्वनि संयंत्रों के प्रयोग को नियंत्रित करना

51. (1) ऐसी जांच और प्रतिबन्धों के अधीन, जो राज्य सरकार अथवा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें, पुलिस अधीक्षक, सार्वजनिक सूचना द्वारा, किसी सार्वजनिक प्रयोजन हेतु किसी गली या अन्य सार्वजनिक स्थल को अस्थायी रूप से आरक्षित कर सकता है और ऐसी परिस्थितियों के सिवाय जोविनिर्दिष्ट की जायें, जनता को इस प्रकार आरक्षित स्थलों में प्रवेश करने से रोक सकता है।

(2) पुलिस अधीक्षक किसी पुलिस अधिकारी को :–

(क) विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु सार्वजनिक मार्गों और गलियों में अवरोध और आवश्यक संरचनाओं के निमार्ण के लिए ;

(ख) किसी विधि के उल्लंघन के लिए वाहनों और उनमें बैठे व्यक्तियों की जांच करने के लिए ;

प्राधिकृत कर सकेगा।

(3) जिले के पुलिस अधीक्षक अथवा अन्य किसी अधिकारी, जो सहायक/उप अधीक्षक पुलिस से न्यून स्तर का न हो, द्वारा किसी सड़क अथवा सार्वजनिक स्थल पर अथवा उसके निकट हो रहे किसी प्रस्तुतीकरण या अन्य गतिविधि, जिससे कि स्थानीय निवासियों को क्षुब्धता हो, के सम्बन्ध में प्रयुक्त हो रहे संगीत एवं अन्य ध्वनि उपकरणों के प्रयोग का समय अथवा उनकी ध्वनि तीव्रता का निर्धारण किया जा सकता है।

विधि और व्यवस्था बनाये रखना

52. (1) पुलिस जिले के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक जिला मजिस्ट्रेट की सहमति से, ऐसी रीति से जैसी विहित की जाए, निम्नलिखित के सम्बन्ध में साधारण और विशेष आदेश जारी कर सकेगा :–

(क) लोक आमोद–प्रमोद और लोक–मनोरंजन स्थलों का विनियमन और यदि लोक हित में आवश्यक हो तो किसी स्थान को लोक आमोद–प्रमोद और लोक–मनोरंजन तथा अन्य प्रकार के लोक–मनोरंजन के लिए किसी स्थान का उन व्यक्तियों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए, जिनके प्रभावित होने की सम्भावना हो, प्रतिषेध, जिसके कारण लेखबद्ध किये जायेगें,

(ख) लोक आमोद–प्रमोद, लोक–मनोरंजन या किसी सार्वजनिक सभा के स्थान अथवा जन समूह में प्रवेश और निकास विनियमित करने और सार्वजनिक शान्ति बनाये रखने की व्यवस्था करना तथा ऐसे स्थानों पर उपद्रव की रोकथाम ।

(ग) किसी सार्वजनिक मार्ग, गली या आम रास्ते पर जन समूह और जुलूसों को विनियमित करना तथा ऐसे मार्ग, जिससे ऐसे जुलूस गुजर सकेंगें तथा उनका समय निर्धारित करना,

(घ) ऐसे व्यक्ति का, जो किसी मार्ग, गली या आम रास्ते पर कोई जुलूस या किसी सार्वजनिक स्थान पर जनसभा आयोजित करना चाहता है, यह कर्तव्य होगा की वह जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक और सम्बन्धित थाने के प्रभारी को सूचित करें,

(ङ) यदि उपरोक्त खण्ड (घ) में उल्लिखित किसी अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है या सूचना प्राप्त होने और समाधान होने पर, कि यदि ऐसे जुलूस या जनसमूह को नियंत्रित या विनियमित किए बिना अनुमति दी जाती है, उससे शांति भंग होने की सम्भावना होती है, तो वह आवश्यक शर्तें, जिनमें संतोषजनक विनियमन प्रबन्ध भी शामिल है, विहित कर सकता है। केवल उन्हीं शर्तों पर ऐसा जनसमूह या जुलूस निकाला जा सकेगा। विशेष परिस्थितियों में और ऐसे कारणों से जिन्हें लेखबद्ध किया जाये, जनहित में ऐसे जनसमूह या जुलूस को प्रतिषेध किया जा सकेगा।

(च) यदि किसी जनसमूह या जुलूस द्वारा उपधारा (ङ) के अधीन आदेश की उपेक्षा या अवज्ञा की जाती है, तो भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अध्याय–आठ के अधीन ''अविधिमान्य'' जनसमूह समझा जायेगा।

(2) तथापि, अपवादिक एवं अपरिहार्य परिस्थितियों में, थाने का भार साधक अधिकारी सम्बन्धित कार्यकारी मजिस्ट्रेट की सहमति से उपधारा (1) से संबंधित मामलों में कार्यवाही करेगा।

(3) पुलिस अधीक्षक, प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों मे प्रकाशित आदेश द्वारा प्रत्येक मकान, दुकान, सार्वजनिक परिसर से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह विनिर्दिष्ट प्रपत्र में किरायेदार अथवा घरेलू नौकर का विवरण प्रस्तुत करें।

(4) जिला पुलिस अधीक्षक किसी व्यक्ति से, जो किसी धन सम्बन्धी लाभ के लिये ऐसा कोई भी व्यवसाय, जलसा, प्रदर्शनी, विक्रय, मनोरंजन

इत्यादि आयोजित करता है, जिसमें लोक सुरक्षा के प्रयोजन के लिये या लोक शान्ति या व्यवस्था बनाये रखने के लिये अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की आवश्यकता हो, तो ऐसा उपयोक्ता प्रभार उद्‌गृहीत कर सकेगा, जो विहित किया जाय।

यातायात का विनियमन 53. पुलिस अधीक्षक मोटर चालकों, साइकिल चलाने वालों, पैदल चलने वाले और जानवरों के साथ चलने वाले व्यक्तियों तथा बाईसकिल सहित वाहनों की पार्किंग के लिए, यातायात की सुव्यवस्थित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के उद्‌देश्य से, सार्वजनिक मार्गों और गलियों के उपयोग को विनियमित करने के लिए समय–समय पर निदेश जारी कर सकेगा।

साक्षी का संरक्षण 54. (1) राज्य सरकार, यथाशीघ्र, मानव अधिकारी संरक्षण के उपाय के रूप में साक्षी के संरक्षण के लिए नियम बनायेगी।

(2) राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में साक्षी को ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अधीन, जो विहित किये जाऐं, संरक्षित साक्षी घोषित करने के लिए आवेदन दे सकता है।

(3) साक्षी के संरक्षण के लिए अन्य बातों के अतिरिक्त निम्न शामिल हैं :–

(क) आवश्यक प्रबन्ध करना,

(एक)साक्षी को नई पहचान स्थापित करने के लिए अनुमति देने, अथवा

(दो) साक्षी एवं उसके परिवार को अन्यथा संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करना।

(ख) साक्षी की पुनर्स्थापना,

(ग) साक्षी के लिए आवास प्रदान करना,

(घ) साक्षी की सम्पत्ति के लिए परिवहन व्यवस्था करना,

(ड़) साक्षी को युक्तियुक्त वित्तीय सहायता प्रदान करना,

(च) साक्षी संरक्षण कार्यक्रम में, प्रशासन से सम्बन्धित किसी व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के पालन में कल्पित नाम का उपयोग करने और इन कल्पित नामों के समर्थन में एक प्रलेखीकरण की अनुमति प्रदान करना,

(छ) साक्षी संरक्षण से सम्बन्धित भारत और विदेशी राज्य के बीच हुए करार अथवा व्यवस्था के अनुसरण में, उपस्थित विदेशी साक्षी के सम्बन्ध में, खण्ड (क) से (च) तक में उल्लिखित कोई उपाय करना,

(ज) कोई अन्य कार्य करना, जिसे राज्य सरकार साक्षी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझती है।

(4) इस धारा के प्रवर्तन में किसी कठिनाई को दूर करने के लिए राज्य सरकार ऐसे आदेश पारित कर सकेगी, जैसा वह उचित समझे।

पीड़ित व्यक्ति का पुनर्वास

55. (1) राज्य सरकार अपराधी पक्ष से पीड़ित व्यक्ति की सुरक्षा और संरक्षण के लिए सहायता के रूप में समुचित उपाय विहित कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार, ऐसे अन्य आदेश पारित कर सकेगी, जैसा वह इस धारा के प्रवर्तन में कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक समझे।

ग्रामीण क्षेत्रों में रक्षकों की भर्ती

56. (1) एक पुलिस जिले के प्रत्येक गांव अथवा गांवों के समूह में, इस निमित विहित नियमों के अनुसार, विहित कार्यकाल के लिए, पुलिस अधीक्षक द्वारा भर्ती किया गया एक रक्षक होगा।

(2) गांव अथवा सम्बन्धित गांवों के समूह में रहने वाला 30 से 60 वर्ष आयु के वर्ग का स्वस्थ व्यक्ति, निम्नानुसार, निर्धारित वरीयता के क्रम में, रक्षक के रूप में भर्ती किये जाने के लिए पात्र होगा :—

(क) भूतपूर्व सैनिक/भूतपूर्व अर्द्धसैनिक,

(ख) होमगार्ड स्वयं सेवक/प्रान्तीय रक्षक दल (पी0आर0डी0)

(ग) ऐसा खिलाडी जिसने राज्य स्तर पर जिले का प्रतिनिधित्व किया है, तथा

(घ) अन्य कोई व्यक्ति।

(3) किसी भी ऐसे व्यक्ति को भर्ती नहीं किया जायेगा, जो निम्नलिखित निर्धारित निरर्हताएं रखता हो :—

(क) वह नैतिक अधमता से सम्बन्धित अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है,

(ख) उसके विरूद्ध आपराधिक आरोप से सम्बन्धित मामले पर या तो विचार किया जा रहा है या मामला अन्वेषणाधीन है।

(4) ग्राम रक्षक के रूप में सूचीबद्ध किसी व्यक्ति की पदावधि तीन वर्ष की होगी। जनपदीय पुलिस अधीक्षक द्वारा यह पदावधि बढ़ायी या नवीकृत की जा सकती है,

परन्तु किसी भी ग्राम रक्षक को, उसकी सूचीबद्धता के चालू रहने के दौरान, उसके समनुदेशन से हटाया जा सकेगा, यदि वह उप—धारा (3) में विनिर्दिष्ट अपात्रताओं में से कोई भी उपगत करता है या ग्राम रक्षक के रूप में उसके कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के निर्वहन में उपेक्षा करता पाया जाता है।

गांव का रक्षक अवैतनिक कार्यकर्ता होगा

57. (1) गांव का रक्षक एक अवैतनिक कार्यकर्ता होगा और उसे लोक सेवक समझा जायेगा, जैसा कि भारतीय दण्ड संहित, 1860 (अधिनियम संख्या 45 वर्ष 1860) में परिभाषित है।

(2) उसे ऐसा मानदेय और जेबखर्च का भुगतान किया जा सकता है, जो कि राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर निर्धारित किया गया है।

गांव के रक्षक की पहचान

58. (1) पुलिस जिले में, प्रत्येक रक्षक को, पुलिस अधीक्षक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, पहचान के लिए एक बैच, वर्दी और एक फोटो पहचानपत्र प्रदान किया जायेगा।

(2) ऐसा व्यक्ति गांव का रक्षक न रहने पर, पुलिस अधीक्षक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को, पहचान का बैज, वर्दी, फोटो पहचान पत्र और गांव के रक्षक के रूप में उसके द्वारा रखे गये समस्त अभिलेख और दस्तावेज तत्काल सुपुर्द करेगा।

रक्षक के कर्तव्य और उत्तरदायित्व

59. रक्षक के निम्नलिखित कर्तव्य और उतरदायित्व होंगे, अर्थात :—

(1) गांव में किसी अपराध के घटने पर या विधि और व्यवस्था की परिस्थिति के सम्बन्ध में, पुलिस थाने में यथाशीघ्र रिपोर्ट करना और अपराधियों को पकड़वाने में पुलिस की सहायता करना,

(2) अपराध निवारण अथवा विधि और व्यवस्था की समस्या के निवारण की दृष्टि से, गांव में सामान्य निगरानी रखना तथा उसके सम्बन्ध में पुलिस थाने को तत्परता से सूचित करना,

(3) किसी संदिग्ध गतिविधि, संदिग्ध व्यक्तियों के आने—जाने अथवा गांव में किसी षडयंत्र के सम्बन्ध में, जिससे अपराध अथवा विधि और व्यवस्था भंग होने की सम्भावना हो, किसी सूचना के प्रति सतर्क और संवेदनशील रहना और ऐसी सूचना को पुलिस थाने में तत्परता से पहुंचाना,

(4) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 43 के अधीन, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को शस्त्रों, गोला बारूद, सम्पत्ति या किसी आपत्तिजनक अथवा संदिग्ध वस्तु, यदि कोई हो, जो उससे अधिगृहीत की गयी हो, गिरफ्तार करने या पुलिस थाने को सौंपने में किसी नागरिक की अविलम्ब सहायता करना। यदि गिरफ्तार व्यक्ति कोई महिला हो तो पुलिस रक्षक के साथ एक महिला जायेगी।

(5) पुलिस के आने तक अपराध के स्थल की सुरक्षा और परिरक्षण सम्यक रूप से यह सुनिश्चित करना कि उसके साथ उत्सुक दर्शकों अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा छेड़खानी नहीं की जाती है

(6) पुलिस अधीक्षक द्वारा साधारण और विशेष आदेश के माध्यम से विहित गांवों में ऐसी गतिविधियों और घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए, जिनका अपराध, विधि और व्यवस्था तथा अन्य पुलिस व्यवस्था से सम्बन्ध होगा, न्यूनतम अवधियों के अन्तराल पर पुलिस थाने के प्रभारी से भेंट करना,

(7) विहित अभिलेख और रजिस्टरों को रखना।

(8) पुलिस व्यवस्था से सम्बन्धित जनता की शिकायतों और प्रतिवादों को रिकार्ड करना और गांव में अपराध तथा विधि और व्यवस्था से सम्बन्धित मामलों पर ग्राम पंचायत से सम्पर्क बनाना, तथा

(9) ऐसे अन्य साधारण कर्तव्यों का पालन करना, जैसा जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक निदेश दे।

ग्राम रक्षा दल

60. पुलिस अधीक्षक, जब कभी अपेक्षित हो, निवारक गश्त लगाने, अपराध कम करने के उपायों को बढावा देने और विहित रीति से पुलिस को उसके कार्य में साधारणतः सहायता करने के लिए, किसी भी गांव के लिए ग्राम

सुरक्षा दल के निर्माण हेतु स्थानीय सम्मानित व्यक्तियों के एक समूह को संगठित कर सकता है।

सामुदायिक सम्पर्क समूह

61. (1) जिला पुलिस अधीक्षक, पुलिस बल की उसके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए प्रत्येक पुलिस थाने के लिए समुदाय के प्रतिनिधियों से गठित एक या अधिक समुदाय संपर्क समूह विहित रीति से गठित करेगा।

(2) समुदाय सम्पर्क समूह ऐसे कृत्यों का पालन करेगा और उसके ऐसे उत्तरदायित्व होंगे, जो विहित किये जायें।

अध्याय–सात

सार्वजनिक व्यवस्था एवं आन्तरिक सुरक्षा के सन्दर्भ में पुलिस यवस्था

आंतरिक सुरक्षा योजनायें

62. (1) पुलिस महानिदेशक, राज्य सरकार के अनुमोदन से, सार्वजनिक व्यवस्था और सम्पूर्ण राज्य की सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी समस्याओं, के समाधान हेतु आन्तरिक सुरक्षा योजना बनाएगा। जिले की आन्तरिक सुरक्षा योजनाएं, जिले के जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की जाएगी।

(2) आन्तरिक सुरक्षा योजनाओं का आवश्यकतानुसार, कम से कम तीन वर्ष में एक बार पुनरीक्षण /पुनर्विलोकन किया जायेगा,

परन्तु यह कि पुनर्विलोकन का कार्य पूर्ववर्ती पुनरीक्षण/ पुनर्विलोकन की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति से पहले पूरा किया जा सकता है।

(3) आन्तरिक सुरक्षा योजनाओं में अन्य बातों के साथ–साथ, किसी महत्वपूर्ण अवस्थापना, यदि उस क्षेत्र में स्थित हो तो, उसके अधिष्ठान या स्थापना की सुरक्षा के सम्बन्ध में सिविल प्रशासन तथा पुलिस की भूमिका को भी शामिल किया जायेगा।

(4) आन्तरिक सुरक्षा योजना तैयार करते समय पुलिस महानिदेशक, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक, यथास्थिति, विशिष्ठ विधि और व्यवस्था सम्बन्धी समस्याओं की आकस्मिकताओं और सुरक्षा की आवश्यकताओं को भी, जो ऐसी परिस्थितियों में उत्पन्न हो सकती है, ध्यान में रखेंगे।

(5) आन्तरिक सुरक्षा योजनाओं में, नागरिक प्रशासन, पुलिस और राज्य सरकार के अन्य विभागों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के लिये नियमित रूप से अध्यावधिक तथा व्यापक मानक परिचालन प्रक्रियाओं को शामिल किया जायेगा।

अध्याय–आठ

पुलिस की जवाबदेही

पुलिस की जवाबदेही के लिये अतिरिक्त तंत्र

63. वर्तमान तंत्रों और विभागीय प्राधिकारियों के कृत्यों, कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त, पुलिस की जवाबदेही, इस अध्याय में वर्णित अतिरिक्त तंत्र के माध्यम से और अधिक सुनिश्चित की जायेगी।

आचरण के लिये जवाब देही

राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण

64. राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के छः महीने के अन्दर, गम्भीर अवचार के लिये पुलिस कार्मिकों के विरूद्ध जनता की शिकायतों की जॉच करने के लिये तथा ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करने के लिये, जो इस अध्याय में निर्धारित किये गये हैं, एक राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण (जिसे एतद्पश्चात 'प्राधिकरण' कहा गया है) का गठन करेगी, जिसमें एक अध्यक्ष तथा अधिकतम अन्य चार सदस्य होंगें।

प्राधिकरण की संरचना

65. (1) प्राधिकरण में, सत्यनिष्ठा और मानवाधिकारों के प्रति वचनबद्धता के विश्वसनीय रिकार्ड वाले अधिकतम 05 सदस्य होंगे, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा। इनमें निम्नलिखित होंगेः–

(क) लोक व्यवहार में अनुभवी, प्रख्यात तथा सत्यनिष्ठा और मानव अधिकारों के प्रति वचनबद्धता के विश्वसनीय रिकार्ड वाले 04 व्यक्ति, स्वतन्त्र सदस्यों के रूप में;

(ख) अधिवार्षिकी के कारण सेवानिवृत्त एक पुलिस अधिकारी, जिसका पद पुलिस महानिरीक्षक से निम्न स्तर का नहीं होगा;

(2) प्राधिकरण का कम से कम एक सदस्य महिला होगी और एक अधिक सदस्य पुलिस अधिकारी नहीं होगा;

(3) चार स्वतन्त्र सदस्यों में से एक सदस्य ऐसे होंगे, जिन्हे विधि क्षेत्र का समुचित ज्ञान हो।

(4) राज्य सरकार स्वतन्त्र सदस्यों में से किसी एक सदस्य को प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त करेगी।

सदस्यता के लिये अपात्रता

66. कोई भी व्यक्ति प्राधिकरण का सदस्य होने के लिये पात्र नहीं होगा, यदि वह–

(क) भारत का नागरिक नहीं है;

(ख) उसकी आयु 70 वर्ष से अधिक है;

(ग) किसी पुलिस, सैन्य अथवा सम्बद्ध संगठन में कार्यरत है;

(घ) लोक सेवक के रूप में कार्य कर रहा है;

(ङ) किसी निर्वाचित पद पर कार्य कर रहा है, जिसमें सांसद अथवा विधायक या स्थानीय निकाय का सदस्य भी शामिल है;

(च) किसी ऐसे संगठन का सदस्य है या किसी प्रकार से उससे सम्बद्ध है, जिसे विद्यमान विधि के अधीन विधि विरूद्ध घोषित कर दिया गया है,

(छ) किसी राजनैतिक दल का सदस्य अथवा पदाधिकारी है;

(ज) किसी अपराध के लिये दोषी ठहराया गया है और जिसके विरूद्ध किसी विधि न्यायालय द्वारा आरोप लगाये गये हैं; अथवा

(झ) विकृत चित्त का है और उसे सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया है।

अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्तें

67. (1) किसी सदस्य और अध्यक्ष की पदावधि तीन वर्ष होगी जब तक कि वह—

(क) अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले किसी समय त्याग पत्र नहीं देता, अथवा

(ख) उसे धारा 68 में उल्लिखित किसी कारण से उसके पद से न हटा दिया जाए।

(2) अध्यक्ष तथा सदस्य पुनर्नियुक्ति कि लिये पात्र होंगे;

(3) सदस्यों का पारिश्रमिक, भत्ते और अन्य सेवा शर्ते तथा निबन्धन ऐसे होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर अधिसूचित किये जायें।

अध्यक्ष और सदस्यों का पद से हटाया जाना

68. प्राधिकरण के अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य को राज्यपाल के आदेश द्वारा, निम्नलिखित कारण से, उसके पद से हटाया जा सकेगा :—

(क) प्रमाणित अवचार अथवा दुर्व्यवहार;

(ख) प्राधिकरण के कर्तव्यों के पालन में निरन्तर उपेक्षा;

(ग) किसी ऐसी परिस्थिति का उत्पन्न होना, जिसके कारण कोई सदस्य धारा 66 के अधीन प्राधिकरण में नियुक्ति के लिये अपात्र हो जायेगा; या

(घ) किसी सदस्य द्वारा अपने पद के कर्तव्यों के अतिरिक्त अपने पद पर कार्य करते हुये कोई अन्य वैतनिक नियुक्ति प्राप्त करना।

प्राधिकरण के कर्मचारी

69. (1) राज्य सरकार प्राधिकरण के सदस्यों के लिये कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी;

(2) कर्मचारियों की संख्या राज्य सरकार द्वारा विहित की जायेगी;

(3) प्राधिकरण द्वारा कर्मचारियों का चयन ऐसी प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा, जो सरकार द्वारा विहित की गयी है;

(4) कर्मचारियों का पारिश्रमिक तथा अन्य सेवा शर्ते और निबंधन समय—समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किये जायेंगें।

कार्य संचालन 70. प्राधिकरण अपने कार्य संचालन के लिये, राज्य सरकार के अनुमोदन से, स्वयं नियम बनायेगा।

प्राधिकरण के कृत्य 71. (1) प्राधिकरण, उसके द्वारा सीधे प्राप्त अवचार की शिकायतें, आगे की कार्यवाही के लिये पुलिस महानिदेशक को अग्रसारित करेगा, परन्तु गुमनाम शिकायत पर कोई संज्ञान नहीं लिया जायेगा;

(2) प्राधिकरण पुलिस कार्मिकों के विरूद्ध ''गम्भीर अवचार'' की शिकायतें प्राप्त होने पर आरोपों की जांच कर सकेगा।

स्पष्टीकरण :

इस अध्याय हेतु, ''गम्भीर अपचार'' से किसी पुलिस अधिकारी का कोई ऐसा कार्य अभिप्रेत है, जिसके कारण :—

(क) पुलिस हिरासत में मृत्यु;

(ख) गम्भीर चोट, जैसा कि भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 320 में परिभाषित है;

(ग) बलात्कार अथवा बलात्कार का प्रयास;

(घ) विधि सम्यक प्रक्रिया के बिना गिरफ्तारी या निरोध;

(ड़) मानवाधिकारों का उल्लघंन; या

(च) भ्रष्टाचार;

के आरोप लगाये जा सकते हों।

(3) प्राधिकरण, राज्य सरकार या पुलिस महानिदेशक द्वारा उसको निर्दिष्ट, किसी अन्य मामले की भी जांच कर सकता है, यदि प्राधिकरण की राय में मामला स्वतन्त्र जॉच के योग्य है;

(4) प्राधिकरण, पुलिस महानिदेशक से समय—समय पर प्राप्त तिमाही रिपोर्ट के माध्यम से, राजपत्रित अधिकारियों के विरूद्ध अवचार की शिकायतों पर विभागीय कार्यवाही अथवा विभागीय जॉचों की प्रास्थिति की अनुश्रवण कर सकेगा तथा ऐसे मामलों में कार्यवाही पूरी करने के लिये राज्य सरकार को समुचित परामर्श दे सकता है;

(5) प्राधिकरण, किसी शिकायतकर्ता के द्वारा की गयी ''अवचार'' की शिकायत, जिसे पूर्व में परिभाषित किया गया है, की किसी पुलिस अधिकारी द्वारा की जा रही विभागीय जॉच की प्रक्रिया में अनुचित विलम्ब होने या उसके परिणाम से असन्तुष्ट होने के किसी मामले के संज्ञान में आने पर, पुलिस महानिदेशक से रिपोर्ट मांग सकता है, आगे की कार्यवाही के लिये समुचित परामर्श जारी कर सकता है अथवा किसी अन्य अधिकारी द्वारा नये सिरे से पुनः जांच कराने के लिये निदेश जारी कर सकता है।

(6) प्राधिकरण, पुलिस कार्मिकों के अवचार के कृत को रोकने के लिये, राज्य पुलिस के लिये सामान्य मार्ग निर्देश सुझा सकता है।

प्राधिकरण की शक्तियां 72. (1) प्राधिकरण, विधिक विशेषाधिकार के अधीन, ऐसे बिन्दुओं या मामलों पर किसी व्यक्ति से सूचना प्रदान करने की अपेक्षा करने के लिये अधिकृत होगा, जो प्राधिकरण की राय में जांच के विषय में उपयोगी अथवा

संगत हो सकती है और ऐसा व्यक्ति, जिससे ऐसी अपेक्षा की गयी है, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 176 और 177 के अर्थान्तर्गत ऐसी सूचना प्रदान करने के लिये बाध्यकारी होगा।

(2) प्राधिकरण को, इस अध्याय के अन्तर्गत, अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिये सिविल न्यायालय की शक्तियां होगी।

(3) ऐसे मामलों में, जिनमें प्राधिकरण द्वारा सीधे जॉच की जा रही हो, प्राधिकरण जॉच पूर्ण होने पर, अपने निष्कर्ष से राज्य सरकार को सूचित कर सकेगी और समुचित कार्यवाही की सिफारिश कर सकेगी।

प्राधिकरण की रिपोर्ट

73. (1) प्राधिकरण, प्रत्येक कलेण्डर वर्ष की समाप्ति पर, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त निम्नलिखित का समावेश होगा :—

(क) ''गम्भीर अवचार''के मामलों की संख्या और प्रकार, जिनकी उसके द्वारा जॉच की गयी;

(ख) ''गम्भीर अवचार'' के मामलों की सख्या और प्रकार, जो उसे शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत की विभागीय जॉच से असन्तुष्ट होने पर संदर्भित किये गये;

(ग) उपरोक्त (ख) में निर्दिष्ट मामलों सहित ऐसे मामलों की संख्या और प्रकार जिनमें उसके द्वारा पुलिस को आगे की कार्यवाही के लिये परामर्श और निदेश दिया गया;

(घ) राज्य में पुलिस कार्मिकों के द्वारा किये गये अवचार का स्वरूप, जिन्हें चिन्हित किया गया है, तथा

(ड.) पुलिस की जवाबदेही बढ़ाने के उपायों से सम्बन्धित सिफारिशें।

(2) प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट, राज्य की विधानसभा के समक्ष रखी जायेगी। रिपोर्ट एक सार्वजनिक दस्तावेज होगा, जो जनता को उपलब्ध होगा।

(3) प्राधिकरण, उन विशेष मामलों के सम्बन्ध में, जिनकी उसके द्वारा सीधे जांच की गयी, विशेष रिपोर्ट भी तैयार कर सकता है। वे रिपोर्टें भी जनता को उपलब्ध करायी जायेंगीं।

शिकायतकर्ता के अधिकार

74. (1) कोई भी व्यक्ति पुलिस कार्मिकों के किसी 'अवचार' अथवा 'गम्भीर अवचार' से सम्बन्धित शिकायत प्राधिकरण में दर्ज करा सकेगा;

परन्तु यह कि प्राधिकरण द्वारा कोई शिकायत स्वीकार नहीं की जायेगी, यदि विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य प्राधिकरण अथवा किसी न्यायालय द्वारा उस शिकायत की विषयवस्तु की जांच की जा रही है।

(2) उन मामलों में, जहां किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस प्राधिकारियों से शिकायत की गयी है, वह, विभागीय जांच की किसी अवस्था में, जांच प्रक्रिया में अनुचित विलम्ब के विषय में प्राधिकरण को सूचित कर सकता है।

(3) शिकायतकर्ता को, जांच प्राधिकारी (सम्बन्धित पुलिस प्राधिकरण अथवा प्राधिकरण) द्वारा जांच की प्रगति के सम्बन्ध में समय–समय पर सूचित किये जाने का अधिकार होगा। जांच अथवा विभागीय कार्यवाही के पूर्ण होने पर शिकायतकर्ता को उसके निष्कर्षो के सम्बन्ध में यथाशीघ्र सूचित किया जायेगा।

सद्भावपूर्वक किये गये कार्य के प्रति संरक्षण

75. राज्य सरकार, राज्य पुलिस बोर्ड, उसके सदस्य और कर्मचारी, पुलिस शिकायत प्राधिकरण, उसके सदस्य और कर्मचारी या बोर्ड अथवा प्राधिकरण के निदेश के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरूद्ध, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी या इस आशय से की जाने वाली किसी बाद के सम्बन्ध में, कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

वित्त पोषण

76. कृत्यों के दक्षता पूर्वकों के निष्पादन के लिये राज्य के बजट के समुचित मुख्य शीर्ष में पृथक संघटक, जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए, प्रदान किया जायेगा।

अध्याय–नौ

पुलिस कल्याण और शिकायतों का निवारण

पुलिस अधिकारियों का कल्याण

77. (1) पुलिस महानिदेशक, अपने पर्यवेक्षण और नियंत्रणाधीन, पुलिस अधिकारियों एवं अन्य कार्मिकों के लिये कल्याणकारी उपायों के कार्यान्वयन के लिये उत्तरदायी होगा।

(2) राज्य सरकार, इस सम्बन्ध में पुलिस महानिदेशक को परामर्श देने और उसकी सहायता के लिये एक या एक से अधिक पुलिस अधिकारी नियुक्त कर सकती है।

पुलिस कल्याण ब्यूरो

78. (1) एक पुलिस कल्याण ब्यूरो होगा (जिसे एतद्पश्चात ''ब्यूरो'' कहा गया है), जिसका प्रधान एक ऐसा अधिकारी होगा, जिसका पद पुलिस उपमहानिरीक्षक से निम्न स्तर का नहीं होगा।

(2) अन्य बातों के अतिरिक्त, ब्यूरो के कृत्य और कर्तव्यों में पुलिस कार्मिकों के लिये कल्याणकारी उपायों का प्रशासन और अनुश्रवण शामिल है, यथा–

(क) चिकित्सा, विशेषकर पुरानी और गम्भीर बिमारियों की चिकित्सा, जिसमें सेवानिवृत्ति के पश्चात पुलिस अधिकारियों और अन्य कार्मिकों तथा उनके आश्रितों के लिये चिकित्सा योजनायें, जो राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू होती हैं, शामिल हैं;

(ख) ड्यूटी के दौरान चोट लगने पर पुलिस अधिकारियों और अन्य कार्मिकों को चिकित्सा सहायता, जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय;

(ग) सेवा करते समय मृत व्यक्तियों के निकट सम्बन्धियों को वित्तीय सहायता, जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय;

(घ) पुलिस अधिकारियों और अन्य कार्मिकों के आश्रितों के लिये उपयुक्त शिल्प में शिक्षा, व्यावसायिक परामर्श तथा प्रशिक्षण, जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय, और

(ङ) सद्भावपूर्वक कर्तव्यों के पालन के सम्बन्ध में समुचित विधिक सुविधाएं, जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय।

(3) ब्यूरो की संरचना, उसकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे, जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय।

बीमा और जोखिम भत्ता

79. (1) राज्य सरकार, सभी पुलिस अधिकारियों के लिये चोट लगने, अक्षमता, या ड्यूटी के समय मृत्यु के विरूद्ध, एक बीमा योजना विहित करेगी।

(2) राज्य सरकार गम्भीर जोखिम वाले विशेष खण्डों में तैनात पुलिस अधिकारियों के लिये राज्य सरकार के नियमों के अनुसार जोखिम भत्ता भी विहित कर सकती है।

शिकायत निवारण

80. (1) पुलिस महानिदेशक, राज्य सरकार के अनुमोदन से, पुलिस कार्मिकों की व्यक्तिगत और सामूहिक शिकायतों पर विचार करने के लिये, विनियमों के माध्यम से, एक संतोषजनक, पारदर्शी और सहभागिता वाला शिकायत निवारण तंत्र बनायेगी। शिकायतें उदारतापूर्वक प्राप्त की जाएगी।

(2) यह तंत्र व्यथित पक्ष को, यदि उसका प्रथम स्तर पर उसकी शिकायत के निस्तारण से समाधान नहीं होता है, अपील का अधिकार सुनिश्चित करेगा।

अध्याय–दस

साधारण अपराध, शस्तियां और उत्तरदायित्व

अनियंत्रित आचरण के अपराध

81. (1) यदि कोई व्यक्ति, किसी मार्ग, गली, आम रास्ते या खुले स्थान, जो सार्वजनिक हो, में निम्नलिखित में से कोई अपराध करता है, जिससे वहां के निवासियों या राह चलते व्यक्तियों को असुविधा, परेशानी या खतरा हो, न्यायालय द्वारा दोषी ठहराये जाने पर, न्यूनतम रूपये पांच सौ और अधिकतम रूपये एक हजार के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा यथा;

(क) नशे में धुत्त तथा दंगा या जनता में उपद्रव करते हुये पाया जाने पर;

(ख) पुलिस, अग्निशमन दल या किसी अन्य आवश्यक सेवा को झूठा आलार्म लगाकर गुमराह करने या जानबुझ कर अफवाह फैलाने पर;

(2) किसी व्यक्ति को, जो उप धारा (1) में उल्लिखित कोई अपराध करता है और घटना स्थल पर ही अपराध का शमन करने में असफल रहता है, उसे बिना वारन्ट के हिरासत में लेना, किसी पुलिस अधिकारी के लिये विधि सम्मत होगा।

(3) इस धारा में उल्लिखित अपराधों का, इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त पुलिस अधिकारियों द्वारा, विहित न्यूनतम राशि की आधी राशि जमा करने पर घटना स्थल पर ही शमन किया जा सकता है।

(4) उप धारा (1) के अधीन हिरासत में निरूद्ध व्यक्ति को, अपराध के शमन होने के तुरन्त पश्चात मुक्त कर दिया जायेगा, अन्यथा ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लिये जाने के 24 घण्टे के अन्दर क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

समन्वय

82. (1) किसी मण्डल में विधि और व्यवस्था के प्रबन्धन को प्रभावी बनाने के लिये, जहां अपेक्षित हो, मण्डलायुक्त द्वारा राज्य सरकार तथा अन्य एजेन्सियों में समन्वय स्थापित किया जायेगा।

(2) किसी जिले में विधि और व्यवस्था के प्रभावी प्रबन्धन के लिये, जहां भी अपेक्षित हो, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा राज्य सरकार तथा विभिन्न अन्य एजेन्सियों में समन्वय स्थापित किया जायेगा।

(3) समन्वय के प्रयोजन हेतु, जिला मजिस्ट्रेट जिले के पुलिस अधीक्षक और जिले के विभागाध्यक्षों से, जब कभी अपेक्षित हो, साधारण और विशेष प्रकार की सूचना मांग सकता है। जहां परिस्थितियों की मांग हो, जिला मजिस्ट्रेट समन्वय के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु समुचित लिखित आदेश पारित करेगा और निदेश जारी करेगा।

(4) समन्वय हेतु जिला मजिस्ट्रेट से निदेश प्राप्त होने पर, सभी सम्बन्धित विभागाध्यक्ष, जिले के पुलिस अधीक्षक को पूर्ण सहायता प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे।

आदेशों और निदेशों का पालन न करने के लिये शास्ति

83. (1) धारा 51, 52, 53 और धारा 81 की उपधारा (3) एवं (4) के अधीन जारी किये विधि सम्मत आदेशों का पालन न करने वाले व्यक्ति पर, सक्षम क्षेत्राधिकार वाले विधि न्यायालय में अभियोजन चलाया जायेगा एवं दोषी ठहराये जाने पर अधिकतम रू0 10000/— के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा।

(2) तथापि, धारा 51, 52 एवं 53 के अपराध का घटनास्थल पर शमन किया जा सकता है, यदि सम्बन्धित थाने के प्रभारी के पास विहित अधिकतम राशि की आधी राशि जमा कर दी जाये।

पुलिस वर्दी का अनधिकृत उपयोग

84. यदि कोई व्यक्ति, जो पुलिस अधिकारी नहीं है, राज्य सरकार या, यथास्थिति राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किये बिना, पुलिस की वर्दी या उसके समान दिखने वाली पोशाक या उक्त वर्दी का कोई विशिष्ट चिन्ह धारण करता है, तो उसका दोष सिद्ध हो जाने पर उसे छः माह के अधिकतम कारावास या रू0 5000/— के अधिकतम जुर्माना या दोनो से दण्डित किया जा सकता है।

पुलिस

85. प्रत्येक पुलिस अधिकारी :—

(क) जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किसी विधि सम्मत नियम या विनियम की उपेक्षा, या जान— बूझकर उल्लंघन, या कर्तव्य के उल्लंघन का दोषी है, या

(ख) जो बिना अनुमति के या पूर्व सूचना दिये बगैर अपने पद के कर्तव्यों से विमुख हो गया है, या

(ग) छुट्टी के कारण अनुपस्थित रहते हुये, ऐसी छुट्टी की समाप्ति, पर बिना युक्तियुक्त कारण के अपने काम पर उपस्थित होने मे असफल होता है, या

(घ) जिसने अपनी पुलिस ड्यूटी से भिन्न किसी अन्य नियोजन में बिना किसी प्राधिकार के नियुक्ति प्राप्त कर ली है, या

(ङ) जो कायरता का दोषी पाया गया है, या

(च) अपनी अभिरक्षा में किसी व्यक्ति के शरीर पर अनावश्यक हिंसा करते हुये पाया गया है, या

(छ) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 द्वारा अपेक्षित, बिना किसी विधि सम्मत कारण के, प्राथमिकी का पंजीकरण करने में असफल होता है, या

(ज) ड्यूटी के समय नशे की हालत में पाया गया है, या

(झ) ऐसे कार्य करता है, जो किसी पुलिस अधिकारी के लिये किसी भी प्रकार से शोभनीय नहीं हैं,

उसे तीन महीने के वेतन के बराबर की अधिकतम धनराशि के जुर्माने से, या अधिकतम तीन माह के किसी प्रकार के कारावास से या दोनो से दण्डित किया जा सकेगा।

(ञ) (एक) इस खण्ड के अधीन कार्यवाही नियुक्ति प्राधिकारी अथवा जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा संस्थित की जायेगी।

(दो) इस धारा के अधीन संस्थित की गयी विधिक कार्यवाही का परिणाम, सम्बन्धित पुलिस कार्मिक की व्यक्तिगत सेवा अभिलेखों में अभिलिखित किया जायेगा।

अध्याय—ग्यारह

निरसन और व्यावृत्त

86. (1) उत्तराखण्ड राज्य के परिपेक्ष्य में, पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या 5 वर्ष 1861) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) उप धारा (1) के अधीन निरसन, इस प्रकार निरसित अधिनियमितों के पहले किसी कृत कार्य या तात्पर्यित की जाने वाली कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा (इसमें की गई कोई नियुक्ति या प्रत्यायोजन या जारी की गई अधिसूचना, आदेश, निदेश अथवा नोटिस शामिल है)। उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किये बनाये गये नियम और विनियम, जहां तक कि वे इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रतिकूल नहीं है, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन किये गये समझे जायेगें और जब तक कि इस अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाही या किसी बात द्वारा अधिक्रान्त नहीं होते, प्रवृत्त रहेगें।

नियम व विनियम बनाने की शक्ति

87. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों की पूर्ति हेतु नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, यथाशीघ्र राज्य की विधानसभा के समक्ष रखे जायेगें।

(3) पुलिस महानिदेशक, राज्य सरकार के अनुमोदन से, इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट मामलों के सम्बन्ध में विनियम बना सकेगा।

(4) राज्य सरकार, पुलिस महानिदेशक को उसके द्वारा ऐसी रीति से, जैसा वह निदेश दे, बनाये गये विनियमों में संसोधन करने के लिये निदेश दे सकेगी और तत्पश्चात पुलिस महानिदेशक विनियमों में उस रीति से संशोधन करेगा, जैसा निर्देशित किया जाये।

(5) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और विनियम, राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जायेगा।

कठिनाईयां दूर करने की शक्ति

88 (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रभावी बनाने में कोई कठिनाइयां आती है तो, इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष तक राज्य सरकार राजपत्र में आदेश द्वारा ऐसे प्राविधान कर सकती है, जो इस अधिनियम के असंगत न हो, जैसा वह कठिनाई को दूर करने के लिये आवश्यक अथवा समीचीन समझे।

(2) इस धारा के अधीन जारी प्रत्येक आदेश, यथाशीघ्र, राज्य की विधान सभा के समक्ष रखा जायेगी।